

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/एल-86/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० नलिनी सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना द्वारा विभागीय पत्रांक-501(3) दिनांक-25.07.2023 के आलोक में विदेश यात्रा हेतु दिनांक-20.07.2023 से 05.09.2023 तक कुल-48 (अड़तालीस) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2(25) दिनांक-01.01.2024 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 230 के आलोक में उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-86/2024- 96/25 पटना, दिनांक 28/01/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/उपाधीक्षक, , अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० नलिनी सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।